कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.11.2024

विषय:- ग्राम अटेसुआ में मामूली विवाद में जान से मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में वांछित अभियुक्त सुजीत राजभर थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तंमचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-360/2024 धारा 191(2),352,351(2),109(1),115(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त सुजीत राजभर पुत्र रामचन्दर राजभर निवासी अटेसुआ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को दिनांक-11.11.2024 को समय करीब 19.20 बजे ग्राम चन्दापुर से अटेसुआँ जाने वाले मार्ग नहर चोलापुर कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद नाजायज़ तंमचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ़्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 नफ़र अभियुक्त कुन्दन यादव उर्फ अमरजीत यादव को घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल के साथ दिनांक-03.11.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक 01.11.2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मामूली बात को लेकर उनके भाई मरजाद राजभर को विपक्षी सुजीत राजभर द्वारा अपने मित्र सुनील राजभर, कुन्दन यादव, रोहित यादव, आशीष राजभर को बुलाकर गोली मार दिया गया था व गोली मरजाद राजभर के पैर मे लगी थी, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0 360/2024 धारा 191(2), 352, 351(2), 109(1), 115(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 लल्लन सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सुजीत राजभर ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे ही गाँव के रोहित राजभर से मामूली विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेकर मुझे व मेरे भाई सुनील राजभर के साथ सुलह के लिए घटना के दिन पंचायत बुलायी गयी थी। उस पंचायत में मैं अपने मित्र कुन्दन यादव तथा रोहित यादव एवं आशीष राजभर को बुलाया था और पंचायत में मेरे गांव के पुनवासी तथा सुबेदार एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। पंचायत में बात नहीं बनी तो गाली-गलौज एवं मारपीट होने लगी, उसी दौरान कुन्दन यादव ने अपने पास लिए असलहा से मरजाद राजभर को हम लोगों के कहने पर जान से मारने की नियत से गोली मार दिया था तथा जब मरजाद राजभर गिर कर घायल अवस्था में छटपटाने लगा तो खून तथा असलहा देखकर भगदड़ हो गयी और उसी दौरान हम लोग मौका पाकर मैं, सुनील एवं आशीष एक तरफ भागे और कुन्दन तथा रोहित एक साथ भाग गये थे। असलहा कुन्दन यादव ही लाया था तथा गोली मारने के बाद फिर वह अपने साथ लेकर भाग गया था। मेरे पास फायरशुदा असलहा नहीं है, मैं डराने

के लिए जो असलहा लिया था वह भागते समय साई धाम फैज द्वितीय चन्दापुर बहलोलपुर नहर बोर्ड के सामने नहर के किनारे झाड़ी मे छिपाया था वह आपको बरामद करा दिया हूं, घटना के दिन यह असलहा मेरे पास था व पुलिस के डर से मै यहाँ पर छिपा कर भाग गया था और अन्य असलहा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम लोग उस घटना के बाद से लुक-छिप कर रह रहे थे और आज मैं अपने भाई को हाजिर कराकर लौट रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुजीत राजभर पुत्र रामचन्दर राजभर निवासी अटेसुआ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद नाजायज़ तंमचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम चन्दापुर से अटेसुआँ जाने वाले मार्ग नहर चोलापुर कमि0 वाराणसी से, दिनांक-11.11.2024 को समय करीब 19.20 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 056/2021 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।
2-मु0अ0सं0 360/2024 धारा 191(2),352,351(2),109(1),115(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 लल्लन सिंह यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2- हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3- हे0का0 महेन्द्र यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।